

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
सीता देवी बनाम श्री कलाल  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट नम्बर 111/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सीता देवी</u></p> <p>पत्नी भिना श्री <u>गोपाल खतीउ</u></p> <p>निवासी <u>घोसुण्ड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम <u>कन्धारिया</u> <u>खेतानो का (प.ह.सतपुड़ा) निवासी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>279/427, 294, 295, 296, 297, 298</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>1.4900</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>कन्धारिया/खेतानो (प.ह.सतपुड़ा) चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>279/427, 294, 295, 296, 297, 298</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>1.4900</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलान्दाजी किये, सेंटलभेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एड. हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>
	<p>(वीनू खत्रल) सहायक कलेक्टर एच उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>